

No.A.12018/02/2017-CHS-V
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
CHS Division

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 28th February, 2017

NOTICE

Ministry of Health & Family Welfare proposes to amend the Central Health Service Rules, 2014.

2. In terms of DoP&T OM No AB-14017/61/2008-Estt.(RR) dated 13.10.2015, proposed amendment notification of CHS Rules is uploaded for comments from all stake holders.

3. The comments may be sent to this Ministry, preferably by speed post, to the undersigned latest by 30.03.2017 on the below mentioned address. Soft copy of the comments may also be e-mailed to sm.routray67@gov.in.

Room No. 403 'D' Wing
Nirman Bhavan,
New Delhi-110011

Encl: As above

(Sitansu Mohan Routray)
Under Secretary to the Government of India
Phone:2306-2550

To
All concerned

संख्या ए.12018/02/2017-सीएचएस-V

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
सीएचएस प्रभाग

* * *

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 28th फरवरी, 2017

नोटिस

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 का.ज्ञा. सं. एबी-14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुसार सीएचएस नियमावली के प्रस्तावित संशोधन संबंधी अधिसूचना को सभी पणधारकों की टिप्पणियों हेतु अपलोड कर दिया गया है।
3. कृपया अपनी टिप्पणियां नीचे लिखे पते पर 30.03.2017 तक अधोहस्ताक्षरी को, यथासंभव स्पीड पोस्ट से भेजें। टिप्पणियों की सॉफ्ट कॉपी sm.routray67@gov.in पर ई-मेल भी भेजी जा सकती है।

कमरा सं. 403 'डी' विंग

निर्माण भवन
नई दिल्ली-110011

संलग्नक : यथोपरि

(शीतांशु मोहन राउतराय, अवर सचिव)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2306-2550

सेवा में,
सभी संबंधितों को।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

G.S.R.....In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Health Service Rules, 2014, namely:-

- (1) These rules may be called the Central Health Service (Amendment) Rules, 2017.
- (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - (i) In Schedule-III of the Central Health Service Rules, 2014, following provision shall be deleted:-
 - a) Note 4.- at II d (i) and II d (ii)
 - (ii) In Schedule-V of the Central Health Service Rules, 2014, following provision shall be deleted:-
 - a) Note 4.- at II (b) (3)

Sitansu Mohan Routray, Under Secretary
[File No. A.12018/2/2017-CHS.V]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

सा.का.नि.....संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाते हैं, नामतः -

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधित) नियमावली, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (i) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 की अनुसूची-III में से निम्नलिखित प्रावधान हटाए जाएंगे :-
 - क) II घ (i) और II घ (ii) पर मौजूद नोट 4.
- (ii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 की अनुसूची- V में से निम्नलिखित प्रावधान हटाए जाएंगे :-
 - क) II (ख) (3) पर मौजूद नोट 4.

(शीतांशु मोहन राउतराय, अवर सचिव)
[फाइल सं. ए.12018/2/2017-सीएचएस.V]